न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
भूसाघर मालिक (पंकज कुमार)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– **464/2020–21**,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त भूसाघर के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक– 214/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 476/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त भूसाघर के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–मेनमा वार्ड नं0 14, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, घटना की तिथि–28.09.2019 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी प्रतिनियुक्त सैफ व गृहरक्षको के साथ उपयुक्त अंकित स्थान पर लगभग साढ़े चार बजे शाम में उपस्थित गवाहों के समक्ष अपनी व अपने टीम के सभी सदस्यो की जमातलाशी उपरान्त गुप्त सूचना के अनुसार, तलाशी शुरू की गई। तलाशी क्रम में अभियुक्त के कब्जे के परिसर में बने करकट के भूसाघर में कंडिका 3 से 6 तक अंकित अवैध मद्य(च0श0 बरामद किया। पूछताछ करने पर पंकज कुमार ने अपने कब्जे का करकट का भूसाघर बताया। तत्पश्चात् बि0म0नि0 व उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत विधिवत गिरफ्तार किया एवं अवैध उत्पाद वस्तु को जप्त कर जप्त नमूना प्रदर्श तैयार किया। आवश्यक कानूनी कारवाई घटना स्थल पर उपस्थित गवाहों के समक्ष विधिवत सम्पन्न की गई। जप्ती सुची की एक प्रति अभियुक्त को हस्तगत की गई।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण वाद सं0 633/2020–21 के अन्तर्गत दिनांक–15.09.2020 को नष्ट करने का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त भूसाघर के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। प्रतिवादी (भूसाघर मालिक) पंकज कुमार, पिता– स्व0	

le

छोटेलाल यादव, साकिन– मेनमा वार्ड नं0 14, थाना– बख्तियारपुर, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी का कहना है कि उपरोक्त वाद सरासर गलत, मनगढ़त एवं न्याय से परे है। भूसाघर से किसी भी प्रकार का अवैध उत्पाद वस्तु नहीं बरामद किया गया है। वे एक शिक्षित बेरोजगार युवक है, जो खेती, गृहस्थी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। उनके खिलाफ अन्य कोई मोकदमा दर्ज नहीं है। गाँव की गंदी राजनीति के तहत उत्पाद विभाग द्वारा गलत ढ़ंग से आवेदक का भूसाघर उक्त वाद में दर्शाया गया है। उक्त भूसाघर का खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी कुछ भी दर्शाया नहीं गया है, ऐसी स्थिति में उक्त भूसाघर का नीलाम किया जाना न्याय संगत नहीं है।

प्रतिवादी के ओर से मुख्यतः इसी के साथ स्वयं को निर्दोष बता कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक, (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि भूसाघर का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त भूसाघर को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि उक्त अधिहरण वाद में जप्त परिसर के संबंध में दी गई विवरणी अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जप्त परिसर में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अतः विपक्षी को कड़ी चेतावनी देते हुए इस अधिहरण वाद को अस्वीकृत कर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता सहरसा।	समाहर्त्ता सहरसा।

ज्ञापांक 17/न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।